तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
21.10.2021	प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 16 के अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता अनु0। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व 151 जा0 दी0 की प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 16 के अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली एवं प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 16 के अधिवकता बहस के दौरान यक तर्क दिया गया कि वादी द्वारा अपने वादपत्र के अन्तर्गत विवादित आराजियात के कब्जेयाबी एवं स्थाई निषेद्याज्ञा के का वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय प्रस्तुत किया गया। जिसके अन्तर्गत वादी द्वारा अपने वादपत्र की कलम संख्या 03,04,05 के अन्तर्गत विवादित संख्या 01 से लगायत 16 निवास कर रहे है। इस प्रकार वाद में वर्णित अभिकथनों से ही यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात कृषि आराजियात के रूप में उपयोग में न आकर आबादी के रूप में आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अन्दर हल्क आबादी की भूमि का सुनवाई का क्षैत्राधिकार न्यायालय को नही है। इस आधार पर वादी के वादपत्र में वर्णित अभिकथनों से ही यह स्पष्ट है कि उक्त वादपत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय को नही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 16 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। —::आदेश::— अतः प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 16 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 03/2020 खारीज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:55:39 IST
Reason: SelfAttested